न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 132/2022

1 दिनेश कुमार पुत्र सुरजाराम।
2 रमेश पुत्र सुरजाराम।
3 मनकोरी देवी पत्नी सुरजाराम।
4 सुमन देवी पुत्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भाखरवासी तहसील रामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भाखरवासी तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
2 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तिहावली तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
3 सहायक अभियन्ता महोदय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण रामगढ़ सेठान जिला सीकर।
4 पटवारी पटवार हल्का ढिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
5 तहसीलदार तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक कार्यालय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अ[illegible]
पदेन राजस्व अप[illegible] [illegible]धिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांकित 16.05.22
अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड रामगढ़ शेखावाटी
प्रकरण संख्या 24/2022 हणमान सिंह बनाम
दिनेश कुमार आदि।

उपस्थिति :

1. श्री हरीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2022 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 हनुमानसिंह द्वारा कतई गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर एक आवेदन अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा–151 सीपीसी में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक किता आवेदन अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 6 के विरूद्ध हणमान सिंह बनाम दिनेश कुमार आदि आवेदन संख्या–24/2022 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांकित 16.05.2022 को पारित करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर– 271, 273, 56, 57, 58, 65 जो वाकै ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के मौके व राजस्व रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की यथास्थिति बनाये जाने के आदेश पारित किये गये है। इससे व्यथित होकर यह अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन स्थगन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। विचाराधीन आदेश से खसरा नम्बर 271, 273, 55, 56, 57, 58, 65 वाके ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ शेखावाटी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद कर दिया गया है। इस आदेश से अपीलांट जो सहखातेदार हैं, विवादित भूमि के उपयोग उपभोग विक्रय हक त्याग आदि से वंचित हो रहे है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन स्थगन अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट हनुमान सिंह द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 271, 273, 55, 56, 57, 58, 65 वाके ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ शेखावाटी में स्वंय का 1/10 हिस्सा होना कथित कर इस 1/10 हिस्से के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.05.2022 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 271, 273, 55, 56, 57, 58, 65 वाके ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ शेखावाटी में प्रार्थी हनुमान सिंह के हक हिस्से तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का अंतरिम स्थगन जारी किया है। इस स्थगन आदेश में अपीलांट को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग विक्रय–रहन, हक त्याग के संदर्भ में पाबंद नहीं किया गया है। अपीलांट के हक हिस्से की भूमि के संदर्भ में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग विक्रय–रहन, हक त्याग हेतु स्वतंत्र है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवचेन के अनुसार अपीलांट के हक हिस्से की भूमि के संदर्भ में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर